IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में आधुनिक तकनीकी के युग में राजनीतिक समावेशन: एक विश्लेषण

प्रो. ममता शर्मा

राजनीति विज्ञान विभाग, मेरठ कॉलेज, मेरठ

वरुण

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, मेरठ कॉलेज मेरठ, चौधरी चरण सिंह विश्वविधालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश

अमूर्त- भारत अत्यंत प्राचीन व जीवंत सभ्यता का प्रतिनिधित्व करने वाला देश रहा है। सभी को साथ लेकर चलना इसकी मूल परंपरा है, अनेक भारतीय ग्रंथों जैसे वेद, पुराणों आदि में सभी के कल्याण को अत्यधिक महत्व दिया गया है। लोकतांत्रिक शासन-प्रणाली में राजनीतिक समावेशन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। अब यदि आधुनिक समय में राजनीतिक समावेशन की बात की जाए तो स्वतंत्रता के बाद से ही इसके लिए निंरतर प्रयास किये जाते रहे हैं। परंतु आधुनिक तकनीकी के प्रयोग से जहाँ हर क्षेत्र में काफी कुछ सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं, वहीं राजनीतिक समावेशन का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है। 1980 के दशक में चुनावों में ई.वी.एम. का प्रयोग प्रारम्भ होने से लेकर वर्तमान में सूचना संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित सोशल मीडिया साइट्स और नवीनतम कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई है।

प्रमुख शब्द- राजनीतिक समावेशन, लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व, तकनीकी, सोशल मीडिया।

परिचय-

"वसुधैव कुटुम्बकम्"[1] संपूर्ण संसार ही हमारा परिवार है। इस विचार में विश्वास रखने वाला भारत, **"लोकतंत्र की जननी"** भारत में सदा से ही सबको साथ लेकर चलने का मूल्य रहा है जब विश्व में अन्यत्र आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र-राज्यों का निर्माण नहीं हुआ था तब भारत में लोकतांत्रिक राज्य सुव्यवस्थित रूप से शासन संचालन कर रहे थे।

उत्तरी बिहार में छठीं शताब्दी ईसा पूर्व वैशाली राज्य ऐसा ही महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक/गणतांत्रिक राज्य था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण अवधारणा राजनीतिक समावेशन है, जिसके अनुसार किसी राष्ट्र, समाज में सभी व्यक्तियों व व्यक्तियों के समूहों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का समान अवसर प्रदान करना है। भारत में राजनीतिक समावेशन का प्रयास स्वतंत्रता के बाद से ही निरन्तर होता रहा है। उदाहरण- सभी नागरिकों को सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार प्रदान करना,

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व एंग्लो इंडियन समुदायों को लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में आरक्षण दिया गया आदि।

इसके अलावा अनेक प्रयास हुए परन्तु आधुनिक तकनीकी के युग में राजनीतिक समावेशन की गति अधिक तीव्र व आसान हुई है। उदाहरण के लिए चुनाव में EVM के प्रयोग से जनता में विश्वास बढ़ाकर, जनता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ना हो या चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल व ऐप्लीकेशन द्वारा जनता के लिए चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाना हो या सोशल-मीडिया के प्रभाव से जनता का जागरूक होकर अपने हित में आन्दोलनों में भाग लेकर नीति-निर्माण को प्रभावित करना हो आदि आधुनिक तकनीकी के राजनीतिक समावेशन में योगदान को दिखाते हैं।

अनुसन्धान के मुख्य बिंदु व उद्देश्य-

यह शोध-पत्र लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाये हुए भारत की महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया राजनीतिक समावेशन व आधुनिक तकनीकी के विकास के दौर में उस पर पड़े प्रभावों को बताने का प्रयास करता है। साथ ही यह भी बताने का प्रयास करता है कि लोकतंत्र को आधुनिक तकनीकी विकास के युग में अधिक समावेशी कैसे बनाया जा सकता है। इस शोध-पत्र में जिन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। वह निम्न हैं-

1. राजनैतिक समावेशन व आधुनिक तकनीक के मध्य क्या संबंध है?
2. सूचना-संचार प्रौद्योगिकी के तकनीकी युग में वे कौन-कौन से तरीके हैं, जिनसे राजनीति और अधिक समावेशी हुई है?
3. तकनीकी के प्रयोग से राजनीतिक समावेशन और अधिक बढ़ाने के और क्या उपाय किये जा सकते हैं?

शासन सभ्यताओं के प्रारम्भ से ही किसी न किसी रूप में चलते आ रहा है। चाहे वह यूनान की सभ्यता के नगर-राज्यों का शासन हो या भारतीय सभ्यता में। अभी तक सभ्यतागत विकास ने शासन की अनेक प्रणालियें का विकास किया है। जैसे राजतंत्र, नृपतंत्र, अभिजाततंत्र, गुटतंत्र, बहुलतंत्र, लोकतंत्र आदि लगभग सभी शासन प्रणालियों में कुछ गुण-दोष होते हैं। परन्तु वैश्विक अनुभव से ये ज्ञात हुआ है कि आधुनिक समय में किसी भी राज्य में व्यक्तियों की सर्वाधिक स्वतंत्रता प्रदान करते हुए उनके विकास के लिए हरसंभव अवसर देने का प्रयास यदि किसी शासन प्रणाली में किया जाता है तो वह लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। यद्यपि यह शासन प्रणाली भी दोषमुक्त नहीं है। परन्तु कुछ दोषों के बाद भी यह शासन प्रणाली अभी तक ज्ञात सभी शासन प्रणालियों में सर्वाधिक व्यावहारिक मानी जाती है।

लोकतंत्र को उत्तम ढंग से भारतीय सभ्यता में वर्णित किया गया है। उदाहरण के लिए विश्व के प्राचीनतम ग्रंथों में शामिल वेदों में प्रथम ऋग्वेद में यह श्लोक वर्णित है।

"सयानों मन्त्रः समिति समानी समान मनः सहचित्तमेषाम्।
समान मन्त्रमिन्त्रये व समानेन वा हविषा जुधैमि।
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति।।"[2]

ऋग्वेद में लिखित उपरोक्त श्लोक में सभी को समान मानते हुए लोकतंत्र के मूल भाव समानता तथा सभी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का संकेत किया गया है। इस श्लोक का अर्थ है- **"इन सब मनुष्यों का विचार समान हो। इनकी समिति व सभा समान हो। इनका मन समान हो और चित्त एक**

समान उद्देश्य वाला हो। हे मनुष्यों! मैं परमेश्वर तुम सबको समान विचारों वाला करता हूँ। अपने संकल्पों व भावनाओं और विचारों में एकात्मकता ही आपस में परस्पर सहयोग से रहने की इच्छाशक्ति दृढ़ हो।"[3]

जब ईश्वर कहते हैं कि मैं सभी की सभा समिति समान हो, समान खान-पान और यज्ञ-भावना से मुक्त करता हूँ। तो ये लोकतंत्र के ही महत्वपूर्ण भाव हैं। जहाँ सीधे लोकतंत्र नाम नहीं है परन्तु भाव वही है।

यदि आधुनिक समय में लोकतंत्र की सर्वाधिक प्रसिद्ध व सरल परिभाषा की बात करें तो वह भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहिम लिंकन द्वारा अपने प्रसिद्ध भाषण में कहा कि **"लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए और लोगों द्वारा सरकार है।"**[4] लोकतान्त्रिकता को सुदृढ़ता प्रदान करने व सतत बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि सभी नागरिकों का सक्रिय योगदान होना चाहिए, इस योगदान के वर्णन के लिए ही राजनीतिक समावेशन की अवधारणा दी गयी है। राजनीतिक समायोजन को अपने ही भारतीय संविधान के पितामह कहे जाने वाले डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर ने बताने का प्रयास किया, डॉ॰ अंबेडकर ने संविधान सभा की बहस के दौरान कहा कि **"लोकतांत्रिक शासन जनता की व जनता के लिए, इस अवधारणा से जनता तंग आ चुकी है और वे वास्तव में जनता द्वारा सरकार चाहते हैं।"**[5]

यदि अब हम समझने का प्रयास करें कि राजनीतिक समावेशन क्या होता है तो इससे पहले हमें समावेशन को समझना होगा। समावेशन का साधारण अर्थ है सम्मिलित करना या अपने में समाहित करना। इसके बाद यदि हम राजनीतिक समावेशन को समझे तो कह सकते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें किसी इकाई (देश, राष्ट्र, समाज) के सभी व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित किया जाता है या सम्मिलित होने का समान अवसर मिलता है। अब प्रश्न उठता है कि राजनीतिक गतिविधि क्या है? जैसे लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना। सत्ता प्राप्त करने के पश्चात् समाज या राष्ट्र के लिए नीति निर्माण करना, जनता द्वारा अपने अधिकारों की व संसाधनों में विभिन्न समूहों द्वारा अपना हिस्सा माँगने के लिए प्रदर्शन करना, राजनीतिक विषयों पर चर्चाएँ राजनीतिक दलों द्वारा अपने दृष्टिकोणों का प्रचार-प्रसार आदि राजनीतिक गतिविधियाँ मानी जाती है।

भारत में राजनीतिक समायोजन की कुछ गतिविधियाँ व उनके उदाहरण

राजनीतिक समावेशन लोकतंत्र की एक अति महत्वपूर्ण अवधारणा है। कोई राज्य जिसमें लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनायी जाती है। वहाँ राज्य के शांतिपूर्ण स्थायित्व व संचालन के लिए इसका होना अति आवश्यक है अतः इसके लिए निरंतर प्रयास किया जाना आवश्यक है। भारत में किये गए कुछ महत्वपूर्ण प्रयास निम्न है-

रजवाड़ों का विषय- भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता को राजनीतिक अधिकार नहीं मिले थे, जो रजवाड़ों के अधीन रहती थी। 565 रजवाड़े थे इनका क्षेत्रफल इतना विशाल था कि प्रत्येक चार भारतीयों में से एक किसी रजवाड़े की प्रजा थी।[6] जब चुनाव की बात आती है तो इसकी सभी व्यक्तियों व समूहों को वोट डालने का अधिकार मिले यह अधिकार मानव की गरिमा व समानता के लिए आवश्यक है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् ही संविधान में सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया जिसे सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं। चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग का भारतीय नागरिक हो। इस समय तक लोकतंत्र केवल कुछ

धनी देशों में ही था तथा बहुतेरे देशों में महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया था, इस स्थिति में पहला आम चुनाव हुआ, जिसमें 17 करोड़ मतदाता थे जिनमें से 15 प्रतिशत विधायक ही साक्षर थे, 489 सांसद व 3200 विधायक चुने जाने थे।[7] ऑर्गनाइजर नामक पत्रिका ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार असफल रहा।[8] लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल के अविश्वसनीय व अथक प्रयास से लगभग सभी रियासतों का विलय भारतीय गणतंत्र में कर लिया गया व इन रजवाड़ों की जनता को सभी राजनीतिक अधिकार प्रदान कर राजनीतिक रूप से बड़ा समावेशन किया गया।

विभिन्न राजनीतिक दलों को अवसर- परन्तु जब चुनाव सफलतापूर्वक करा लिये गये तो टाइम्स ऑफ इण्डिया ने लिखा **"इन चुनावों ने उन सभी आलोचकों के संदेह पर पानी फेर दिया जो सार्वभौमिक मताधिकार की शुरूआत को इस देश के लिए जोखिम मान रहे थे।"**[9]

नीतियों में बदलाव के लिए आंदोलन- 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भाषाई आधार पर राज्यों की माँग स्वीकार करने के पश्चात्, स्वतंत्रता के बाद देश के विभाजन के कारण डर के डर से तत्कालीन सरकार ने इस विचार को टाल दिया परन्तु मद्रास राज्य से अलग होने के लिए तेलुगू भाषी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया व अंत में सरकार ने लोगों की बात मानी व 1952 में भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्रप्रदेश बना व इसके बाद भी कुछ राज्य बने परन्तु अलगाव की आशंका गलत साबित हुई व इसे एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में देखा गया।

सभी नागरिकों को चुनाव में प्रत्याशी बनने के अधिकार के द्वारा समावेशी कदम

स्वतंत्रता के पश्चात् सभी नागरिकों को चुनावों में प्रत्याशी बनने का अधिकार दिया गया परन्तु कुछ सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदायों को लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में सीटें आरक्षित कर दी गयी, लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में से 84 अनुसूचित जाति व 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दी गई व इसी प्रकार अलग-अलग राज्य विधान सभाओं में सीटों में आरक्षण दिया गया।[10]

इसके बाद देश की जनसंख्या की लगभग आधी आबादी महिलाओं को पंचायतों में 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण दिया गया जो एक लोकतांत्रिक समाज की समावेशन के प्रति दृष्टि को दिखाता है।

कुछ अन्य उदाहरण-

1984 में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने से अन्य पिछड़े वर्ग का राजनीति में महत्व बढ़ गया व इस वर्ग को राजनीति में अधिक अवसर मिलने लगे। इन सभी घटनाओं द्वारा हम भारत में राजनीतिक समावेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रयासों को देख सकते हैं। परन्तु समय के साथ-साथ देश में काफी परिवर्तन हुए हैं। उनमें तकनीकी परिवर्तन महत्वपूर्ण हैं।

वर्तमान आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रभाव विश्व में लगभग सभी देशों पर किसी न किसी मात्रा पर पड़ा है। आधुनिक प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण को प्रभावित किया है या उसे बढ़ाने में सहायता दी है। साथ ही वैश्वीकरण ने भी तकनीकी के विकास में या प्रयोग में योगदान दिया है। तकनीकी से सभी शहरों, समाजों, व्यक्तियों के समूहों को किसी न किसी सीमा तक अवश्य ही प्रभावित किया है। चाहे वह स्वास्थ्य का क्षेत्र है, परिवहन, प्रतिरक्षा, रक्षा, कानून व्यवस्था, मनोरंजन, शासन आदि तो जब तकनीकी को हर क्षेत्र में प्रभावित किया है। तो राजनीति का क्षेत्र कैसे अप्रभावित रह सकता है। तकनीकी का अर्थ

किसी कार्य को करने के प्रभावी और कुशल तरीकों को लागू करने की कला का व्यावहारिक व वैज्ञानिक तरीका है। इसी प्रकार प्रौद्योगिकी को मूल रूप में तकनीक व वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है।

यह आविष्कारों, विधियों और तकनीकों की एक विस्तृत शृंखला को शामिल करता है। जो समाज की प्रगति एवं विकास में योगदान करते हैं। इंटरनेट पर आधारित सूचना-संचार प्रौद्योगिकी व सूचना संचार-प्रौद्योगिकी पर आधारित टूल्स यू-ट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, जूम आदि ने लोगों के जीवन को बहुत प्रभावित किया है। इसका विशेष प्रभाव राजनीतिक समावेशन पर भी पड़ा है।

आदिमानवों द्वारा शिकार के लिए प्रयोग किये गये सरल हथियार से लेकर आधुनिक युग में प्रयोग किये जा रहे अत्यंत उन्नत उपकरण प्रौद्योगिकी के ही निरन्तर विकसित होते रूप है।

भारत में राजनीतिक समावेशन पर आधुनिक तकनीकी का प्रभाव हम क्रमबद्ध ढंग से देखते हैं।

20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों के अंत में भारत में राजनीतिक जीवन पर प्रभाव डालने वाली तकनीकों जैसे ई.वी.एम., इंटरनेट आदि का प्रयोग शुरू हुआ। समय के साथ-साथ सूचना संचार प्रौद्योगिकी का तीव्र विकास हुआ, इस पर आधारित विभिन्न टूल्स यू-ट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, जूम आदि ने लोकतंत्र को विमर्शी लोकतंत्र या परिचर्यात्मक लोकतंत्र बनाने में योगदान दिया है।

2009-10 में तकनीक से तीव्रता से लोग जुडे तथा 2016 में जिओ लॉन्च होने के बाद इंटरनेट का पेनीट्रेशन लगातार बढ़ता गया, जिससे आधुनिक तकनीक तक भारतीय नागरिकों की पहुँच बढ़ी निश्चित रूप से इसका प्रभाव भारतीय राजनीति व इसके क्रियाकलापों पर पड़ा जो राजनीतिक दलों द्वारा ऑनलाइन प्रचार पर लगातार बढ़ते खर्च में भी दिखाई देता है।

भारत में राजनीतिक समावेशन के वे कुछ महत्वपूर्ण प्रयास जो आधुनिक तकनीकी से प्रभावित रहे।

EVM का चुनाव में प्रयोग: इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारतीय चुनाव में पारदर्शिता व निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी पर आधारित इस मशीन का प्रयोग प्रायोगिक आधार पर सर्वप्रथम **"1982 में केरल में प्रयोग किया गया, धीरे-धीरे इसका प्रयोग अन्य चुनावों में किया गया फिर अंततः 2004 के लोकसभा चुनाव में सभी पोलिंग स्टेशन पर इसका प्रयोग किया गया।"**[11]

EVM का प्रयोग भारतीय चुनाव प्रणाली में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। चुनाव में इसके मुख्य लाभ समय बचत, पारदर्शिता, निष्पक्षता, सरलता, तीव्र परिणाम आदि देखने को मिले। भारत में चुनावों में जब EVM के प्रयोग से पहले बैलेट-पेपर का प्रयोग किया जाता था तो समय तो अधिक लगता ही था वोटों में धांधली व मत-पेटियों की चोरी या हेरा-फेरी कुछ क्षेत्रों में आम थी जिससे चुनाव की पारदर्शिता व निष्पक्षता तो प्रभावित होती ही थी परन्तु सर्वाधिक बड़ा नुकसान लोकतंत्र को इस रूप में होता था कि भारतीय चुनाव प्रणाली पर लोगों का विश्वास कम होता था तथा राष्ट्रीय अंतराष्ट्रीय स्तर पर चुनाव की वैधता पर प्रश्नचिन्ह लगे परन्तु EVM के प्रयोग के बाद से लोगों की आशंकाएँ कम हुई व लोगों का विश्वास चुनाव प्रणाली में बढ़ा। यह किसी भी लोकतंत्र के लिए एक अमूल्य निधि है।

इनके प्रयोग से भारतीय मतदाताओं का मनोवैज्ञानिक झुकाव चुनाव में भागीदारी की ओर हुआ चूंकि भारतीय संविधान ने सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार जो भारतीय नागरिकों को दिया था वह अब लागू होता हुआ दिखने लगा चूंकि जब चुनावों की मत पत्र पेटियां लूट ली जाती थी तो मतदाताओं के

वोट के अधिकार का प्रयोग सुनिश्चित नहीं हो पा रहा था तथा मतदाता वोटिंग से विमुख होते थे अब EVM ने मतदाताओं को विश्वास दिया कि उनके मत की गिनती की जायेगी तथा वे राजनीतिक प्रतिनिधियों को चुनने में अपने राजनीतिक अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005[12]-

सूचना का अधिकार अधिनियम जो भारतीय संसद ने 2005 में पास किया, जनता के हाथ में अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को सशक्त करने का बहुत बड़ा हथियार मिल गया, जिसने शासन-प्रशासन को जनकेंद्रित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता के अपना मत बनाने के लिए पहले सूचना तक पहुँच होनी आवश्यक है। जिमसें आधार पर जनता अपना तार्किक मत अधिनियम बना सकें, इस अधिकार ने शासन-प्रशासन की अधिकांश महत्वपूर्ण सूचना तक जनता की पहुँच बना दी जिन्हें अंग्रेजी समय में कानूनों जैसे गोपनीयता अधिनियम आदि के द्वारा जनता को देने से मना कर दिया जाता था।

आज सूचना प्रौद्योगिकी के युग में कोई व्यक्ति अपने घर बैठे किसी कंप्यूटर पर बहुत ही कम फीस देकर और यदि किसी वंचित समुदाय से है तो बगैर फीस के सरकार के किसी भी संस्थान से सूचनाएँ मांग सकता है, जो उस संस्था को निश्चित समय में संबंधित व्यक्ति को देनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता में सूचना प्राप्त करने का अधिकार शामिल है।

इससे जनता संसूचित हुई है व अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई है। उसने अपने प्रत्याशियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की है, जिससे उन्हें अपने तार्किक निर्णय लेने में आसानी हुई है।

इस कारण जनता राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय योगदान कर रही है, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है।

एक सोशल मीडिया व अन्य आधुनिक तकनीकों का राजनीति समावेशन पर प्रभाव 2018 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के संबंध में आये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरूद्ध हुए आंदोलन के रूप में देखने को मिला जिसमें वंचित समुदायों के लोगों ने इसके विरूद्ध जोरदार आवाज उठायी जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफार्मस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

आंदोलनों के माध्यम से राजनीतिक समावेशन व उसमें आधुनिक तकनीकी की भूमिका

लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार सभी नागरिकों को दिया जाता है। जिसके माध्यम से नागरिक अपनी मांगों को सरकार से मनवाने का प्रयास करते हैं जब नागरिकों को इसके अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आता तो यह आवश्यक हो जाता है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन तथा आंदोलन लोकतंत्रों की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधि है। जिसमें आमजन सीधे राजनीति में सक्रिय रूप से भूमिका निभाता है। आंदोलन अंग्रेजी शासनकाल से स्वतंत्रता के बाद भी होते रहे हैं व उन्होंने लोकतांत्रिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान दिये, जैसे- स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, अनेक किसान आंदोलन अलग-राज्यों की मांग का आंदोलन, पर्यावरण संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन आदि।

ये आंदोलन अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण थे परन्तु इस समय तकनीक का सीमित विकास हुआ था जहाँ डाक-तार, अखबार आदि के द्वारा सूचनाएँ एक समान से दूसरे समान पर पहुँचाई जाती थी, जिसमें अत्यधिक समय लगता था। वे लोगों को जागरूक करने व आंदोलन से जोड़ने में अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। परन्तु आधुनिक तकनीकी युग ने समस्याओं का बहुत ही अच्छे ढंग से समाधान करने का प्रयास किया है।

2021 का किसान आंदोलन भी प्रारम्भ तो छोटे से विरोध से हुआ परन्तु आधुनिक सूचना संचार प्रौद्योगिकी ने इसे एक बड़ा व सशक्त आन्दोलन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। सरकार पर इतना दबाव बना कि उसे तीनों कानून वापस लेने पड़े जो संसद में विधिवत् पास किये गये थे जिसने लोकतंत्र की ताकत भी दिखाई जनता की सहमति के बिना उनके लिए नीतियाँ या कानून, बनाये व लागू नहीं किये जा सकते हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम व सोशल मीडिया के प्रभाव विशेष रूप से भ्रष्टाचार के विरूद्ध आन्दोलन में देखने को मिला। आंदोलन में प्रारम्भ में RTI के माध्यम से कार्यकर्ताओं द्वारा कॉमन वेल्थ घोटाले आदि की सूचनाएँ प्राप्त कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध विगुल फूका मचा, कई क्रम में आगे जब अन्ना हजारे जैसे पूर्व सैनिक ईमानदार नेता का नेतृत्व प्राप्त हुआ तो इसे बहुत गति मिली, सोशल मीडिया को इन्टरनेट के प्रभाव से इसका प्रयास PAN-INDIA में देखा गया तथा इस आंदोलन के दबाव में सरकार की लोकपाल बिल पास करना पड़ा, इसके साथ ही भ्रष्टाचार के उन्मूलन का नारा देकर आम आदमी पार्टी बनी व कालक्रम में सत्ता प्राप्त की।

निर्भया रेप केस में सोशल मीडिया ने पूरे भारत को एकसूत्र में बांधकर निर्भया को न्याय दिलाने के लिए एक बड़ा आंदोलन बनाकर सरकार पर दबाव बनाकर रेप के दोषियों को फांसी की सजा देने का कानून बनवाने में सफल रही। इस आंदोलन में क्या आम क्या खास सभी लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई। जिसने बड़ी संख्या में लोगों को नीति-निर्माण के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए प्रेरित किया यह राजनीतिक सक्रियता का एक बड़ा उदाहरण है।

ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान- आधुनिक तकनीकी का लाभ सभी भारतीयों को मिले जिससे वे राजनीति में भी अपना सक्रिय योगदान दे सके इसके लिए लोगों में तकनीकी का समझ व उसका उपयोग करने का ज्ञान भी होना चाहिए, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए। भारत के प्रत्येक परिवार को कम से कम एक सदस्य को डिजिटल उपकरणों की जानकारी व प्रशिक्षण के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया।[13]

मार्च 2019 तक लगभग 40 प्रतिशत ग्रामीण घरों में 6 करोड़ लोगों को जो विभिन्न राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में रहते हैं। डिजिटल साक्षर बनाना है। इस प्रोग्राम में 14-60 वर्ष की आयु के मध्य नागरिकों को 20 घंटे का कोर्स काये जाने का प्रावधान था।

इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण भारत में लोगों का डिजिटल, वित्तीय व सामाजिक समावेशन जिसमें लोगों डिजिटल पेमेंट माध्यम लोगों से जुडी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेना, बैंकिंग क्षेत्र की सेवाएँ आदि ऑनलाइन प्राप्त करने में सक्षम हुए। इस साक्षरता अभियान के बाद लोग अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति भी जागरूक हुए व अपने हितों से जुडे।

ग्रामीण भारत में भी चर्चा देखने को मिलती है, जो सोशल मीडिया आदि तकनीकी के प्रभाव से बढ़ते राजनीतिक समावेशन को दिखाती है। यहाँ ग्रामीण साक्षरता अभियान से जुड़ी एक प्रेरक कहानी का वर्णन अपेक्षित है।

गुजरात के सूरत जिले की 18 वर्षीय मुस्कान बानू यासमीन शेख जो अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण अपनी शिक्षा जारी रखने में असमर्थ थी। एक दिन उसे PMGDISHA स्कीम के बारे में पता चला, उसने इसमें पंजीकृत कराकर विधिवत् शिक्षा प्राप्त कर प्रमाण-पत्र प्राप्त किया, अब वह ऑनलाइन माध्यम से सस्ती दरों पर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रही है। लोगों को भी साक्षर बनाने में अपनी भूमिका निभा रही है।[14]

जब राजनीतिक समावेशन की बात होती है तो एक वर्ग ऐसा है जिसकी जनसंख्या भारत में लगभग आधी है। परन्तु उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुकूल नहीं है। वह वर्ग है 'महिला' इस पर विचार करने पर 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों व नगरपालिकाओं में 1990 के दशक में किया, परन्तु उसके बाद से संसद व राज्य विधानसभाओं में आरक्षण की मांग चली आ रही है। परन्तु यह मांग लम्बे समय तक नहीं मानी गयी परन्तु 16वीं 17वीं लोकसभा के समय से जब से सोशल मीडिया का राजनीतिक गतिविधियों में प्रभाव अत्यधिक बढ़ा है तथा यह मांग भी राजनीतिक हल्कों में प्रमुख बनी, जिसका परिणाम यह हुआ कि 2023 में भारतीय संसद ने महिला आरक्षण बिल पारित किया।[15 16]

VVPAT: किसी भी लोकतंत्र में उसके नागरिकों का राजनीतिक गतिविधियों में अधिक योगदान लेना महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन करने वाली संस्थाओं व प्रक्रियाओं पर जनता का विश्वास होना महत्वपूर्ण है। चुनाव-प्रक्रिया जो एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक गतिविधि है, में प्रयोग होने वाली EVM पर जब संदेह जताया गया व सोशल मीडिया ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो सुप्रीम कोर्ट में केस पहुँचा तब सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बनाये रखने व उसे बढ़ाये रखने के लिए वोट वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल (VVPAT) का प्रयोग भारतीय चुनाव में प्रयोग करने का आदेश भारतीय चुनाव आयोग को दिया, तब 2014 लोकसभा चुनाव में कुछ फेज के चुनावों में इसका प्रयोग प्रारम्भ हुआ, उसे बाद से इसका प्रयोग निरन्तर भारतीय चुनावों में हो रहा है।

चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक समावेशन के लिए की गयी कुछ प्रमुख पहल-

स्वीप [(Sveep) : Systematic Voters' Education and Electoral Participation][17]

यह 2009 में चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया एक फ्लेगशिप प्रोग्राम, जिसमें मतदाताओं की चुनावी साक्षरता प्रदान कर उन्हें चुनावी प्रक्रिया से अधिक से अधिक जोड़ना ताकि भारतीय लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आयाम चुनाव भी समावेशी हो।

इस प्रोग्राम के दृष्टिकोण हैं। प्रत्येक नागरिक को मतदाता के रूप में पंजीकृत करना, प्रत्येक चुनाव में सूचित एवं नैतिक तरीके से अपना वोट डालने के लिए जागरूक, सक्षम एवं सशक्त बनाना व चुनाव व लोकतंत्र में नागरिकों की सार्वभौमिक एवं प्रबुद्ध भागीदारी सुनिश्चित करना।[18]

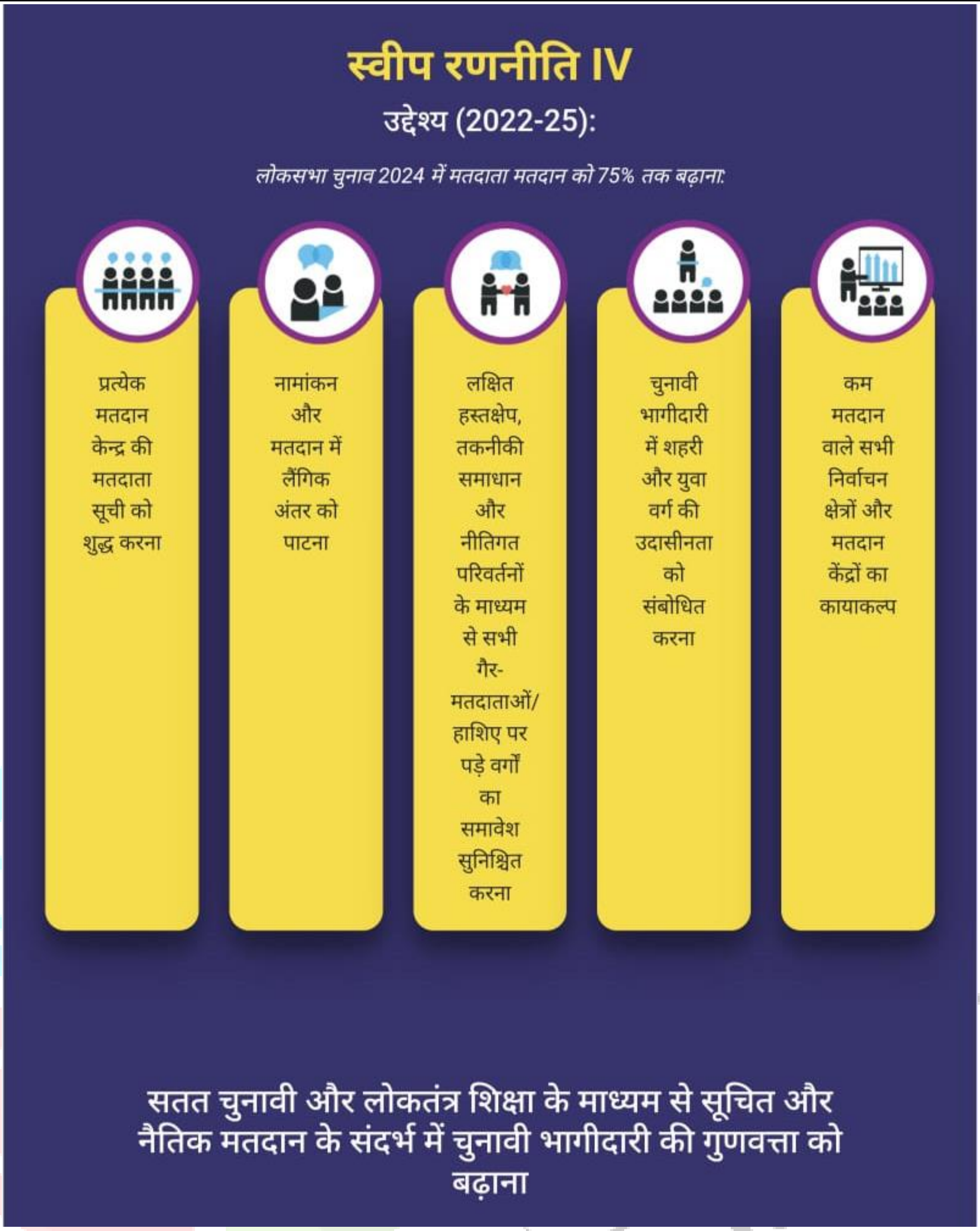

सक्षम ऐप (Saksham)- भारतीय चुनाव आयोग ऐसे मतदाताओं जो दिव्यांग (PwD) हैं, के लिए चुनाव-प्रक्रिया व मतदान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए निरन्तर कार्य कर रहा है। उसी क्रम में दिव्यांग मतदाताओं के लिए यह ऐप अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह ऐप दिव्यांग मतदाताओं के लिए चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक मूल्यवान उपकरण है। इस ऐप का उपयोग करना आसान है। जो दिव्यांगों के लिए अपना पंजीकरण करना, अपना मतदान केंद्र ढूँढना अपना वोट डालना आसान बनाती है।[19]

मतदाता हेल्पलाइन ऐप- डिजिटल संचार के युग में यह ऐप मतदाताओं की अधिक सुविधाओं को प्रदान करने वाली है। इसके माध्यम से मतदाता, मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते हैं। संशोधित कर सकते हैं। अपनी डिजिटल मतदाता पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं। पंजीकरण कर सकते हैं, जिसे मतदाता चुनावी प्रक्रिया व चुनाव आयोग से सीधे जुड़े गये हैं।

CVIGIL ऐप- किसी भी व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए यह आवश्यक है कि निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने पर उससे जुड़े हितधारक उनकी शिकायत संबंधित प्राधिकरण को कर सके उसके लिए यह ऐप बनाई गयी है। यह ऐप चुनाव की दौरान आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने में सक्षम बनता है। इस ऐस में सरलीकरण, प्रमाणिकता व उपयोगकर्ता की गोपनीयता अति महत्वपूर्ण पहलू है।[20]

केवाईसी ऐप[21]- यह ऐप चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को जानने के लिए मतदाताओं को सहायता करती है। ताकि मतदाता संसूचित होकर जागरूकता के साथ उम्मीदवारों का चयन करें व अपने अमूल्य मत का प्रयोग करें।

उपरोक्त उदाहरण आधुनिक तकनीक द्वारा लोकतंत्र को सशक्त करने के कुछ उदाहरण मात्र नहीं हैं। बल्कि लोकतंत्र की व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन करने में तकनीकी की सक्षमता को दिखाते हैं। उपरोक्त उदाहरणों के बावजूद अभी राजनीतिक समावेशन के लिए कुछ बाधाएं हैं। उनको दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्न हैं-

1. भारत के गैर-प्रवासी भारतीयों की संख्या लगभग 13 मिलियन है।[22] उनमें से भारत आकर वोट करने वालों की संख्या अत्यंत कम है। किसी भी राज्य के नागरिकों का मतदान में भाग लेना राष्ट्रीय कर्त्तव्य है। परन्तु उनके लिए यह सुलभ नहीं है। बहुत समय लेने वाला खर्चीला है। आज के भूमंडलीकृत, डिजिटिलीकृत विश्व में यदि हम वहीं से उनके लिए वोट की व्यवस्था अभी तक नहीं कर पाये हैं तो यह एक विडंबना है। हाँ, हमें चाहिए कि जल्द से जल्द चाहे प्रोक्सी वोटिंग के माध्यम से या किसी ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से उन्हें वोट देने की सुविधा प्रदान की जाये ताकि वे भारतीय भी लोकतंत्र के पर्व में सक्रिय योगदान दे पायें।
2. दिव्यांगजन व LGBTQ का बड़ा वंचित वर्ग भारत में हैं। इनके मुद्दे व समस्याएँ भी महत्व रखते हैं। साधारणतः देखने में आया है कि इसकी मांग कोई संसद द्वारा विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में देखने को नहीं मिलती है। इसलिए हमारे चाहिए कि जिस प्रकार वंचित समूह अनुसूचित/जाति अनुसूचित जनजाति को लोकसभा व विधानसभाओं में कुछ सीटों का आरक्षण दिया गया है। कम से कम 1-1 सीट लोकसभा व संबंधित राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षित कर दी जाए ताकि इस वर्गों की आवाज भी संसद में प्रमुखता से उठे व अनुकूल नीतियाँ बन सके।

3. प्रौद्योगिकी के इतने अधिक विकसित होने के बावजूद भारत में देश के अंदर रोजगार या शिक्षा आदि के आधार पर प्रवासन के कारण बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डालने में असक्षम होते जाते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में 67.4 प्रतिशत वोट 30 करोड़ से अधिक मतदाताओं द्वारा अपने मत का प्रयोग नहीं किया गया, जो तकनीकी उन्नति के इस युग में अस्वीकार्य है। हालांकि इसमें समाधान के लिए रिमोट इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार की है[24] जिसका अभी ट्रायल चल रहा है। अतः हमें चाहिए कि जल्द से जल्द इसका ट्रायल पूरा कर इसे चुनाव में प्रयोग हो तथा अधिक समावेशी चुनावी प्रक्रिया बने।
4. 2011 के बाद से भारतीय जनसंख्या की गणना नहीं हुई है, जिसका प्रभाव सीधे रूप में महिलाओं के लिए संसद व विधानसभाओं में दिये गये आरक्षण को लागू करने पर पड़ रहा है। अतः हमें चाहिए कि जल से जल जनगणना कराकर महिलाओं का यह अधिकार सुनिश्चित कर लोकतंत्र का सशक्त किया जाये।
5. चुनाव आयोग को चाहिए कि चुनाव की तारीख घोषित करते समय मौसम का विशेष ध्यान रखें, 2024 लोकसभा चुनाव इतनी गर्मी में हुए कि कई मतदानकर्मियों से लेकर मतदाताओं तक को गर्मी की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी जो अपूर्णिय क्षति थी। अतः चुनाव कार्यक्रम सावधानीपूर्वक तैयार किये जाये ताकि सभी लोगों की चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का सहज व कष्टरहित अवसर मिले।
6. नागरिकों को कई बार लगता है कि चुनाव के दिन मतदान करने में बूथ पर बहुत अधिक समय लग सकता है। इसलिए मतदान करने जाते ही नहीं। कोविड-19 के वेक्सिनेशन प्रोग्राम के लिए स्लॉट बुक कर समय निश्चित किया जाता था, वैसा कुछ प्रयोग किया जा सकता है।

निष्कर्ष-

समावेशन भारत का मूल विचार रहा है और इस दिशा में लगातार प्रयास हुए हैं, आधुनिक तकनीकी ने इनमें महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। परन्तु आज के सोशल-मीडिया के युग में तकनीक की चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। सोशल-मीडिया एक प्रोपेगेण्डा फैलाने का माध्यम भी बन गया है। झूठे तथ्य प्रसारित किये जाते हैं, जिससे जनता में भ्रम की स्थिति बन सकती है। कई बार यह राष्ट्र की एकता व अखंडता को भी चुनौतियाँ पहुँचाता है। कई बार शत्रु राष्ट्रों पर भी लोकतांत्रिक राष्ट्रों की चुनाव प्रक्रिया में इंटरनेट के माध्यम से हस्तक्षेप करने का आरोप लगाता है। जैसे हाल ही में अमेरिका की चुनाव प्रणाली में रशिया द्वारा इंटरनेट के माध्यम से हस्तक्षेप के आरोप लगे। इसलिए सोशल-मीडिया इस प्रकार से विनियमित करने की आवश्यकता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी प्रभावित न हो और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता भी बनी रहे तथा राजनीतिक समावेशन में तकनीकी का लाभ राष्ट्र को मिलता रहे ।

सन्दर्भ

1. कुमार ,हरिश 'आधुनिक राजनितिक व्यवस्था का भारतीय दृष्टिकोण' , भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका , वर्ष चतुदर्श, अंक -प्रथम, जनवरी-जून, २०२२, प.स- ३६ |

2. शर्मा,पी.के, 'संस्कृत वाद्ग्मय में मानव अधिकार एक सिहावलोकन, भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका,वर्ष -पंचम ,अंक -दितीय , अगस्त -दिसम्बर ,२०१३ ,प.स.-२७ |

3. तदैव |

4. चंदेल, भीम ,सिंह एव कुमारी दीप्ती, 'लोकतान्त्रिक शासन एव सूचना का अधिकार , बिहार राज्य के संबंध में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, भारतीय राजनीति विज्ञान शोध- पत्रिका वर्ष चतुदर्श, अंक -प्रथम, जनवरी-जून, २०२२, प.स- ८३ |

5. तदैव |

6. एन.सी.ई.आर.टी, सवतंत्र भारत में राजनीति कक्षा १२ के लिए राजनितिक विज्ञान की पुस्तक प.स.-२९,२०१४ |

7. तदैव प.स.-२८ |

8. तदैव प.स. ३० |

9. तदैव प.स.-३० |

10. भारत का संविधान (२०२४), पॉकेट संस्करण ,सैंट्रल लॉ पब्लिकेशन प.स.-२६९

11. भर .के .एन ,अंडर सेक्रेटरी ,इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया का सभी राज्यों व् केंद्र शासित प्रदेशो के चीफ इलेक्टोद्वार रल ऑफिसर्स को evm के प्रयोग के संबंद्ध में पत्र 11/08/08 |

12. सूचना का अधिकार अधिनियम ,2005 ,महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय ,मिन्टो रोड ,नई दिल्ल्ली-11002 |

13.प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा रिपोर्ट ,(२०२१),मिनिस्ट्री एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, प.स. – 8

14. तदेव प.स. 22 |

15. https://www.unwomen.org/en/news-stories/feature-story/2023/10/india-passes-law-to-reserve-seats-for-women-legislators

16. तदैव |

17. https://ecisveep.nic.in/.

18. तदैव |

19. https://www.eci.gov.in/voter-helpline-app/.

20. https://www.eci.gov.in/cvigil-portal.

21. https://www.eci.gov.in/kyc-ict-app.

22. https://www.mea.gov.in/population-of-overseas-indians-hi.htm